



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264362
CG-DL-E-04072025-264362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947

No. 393]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 436(अ).— केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 57 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यद्य) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 में, अनुसूची में, प्रधान निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के समक्ष, स्तम्भ (12) में, विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - अध्यक्ष;
2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य;
3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य।"

[फा.सं. जे.-1/7/2024-सीपीयू]

एस के वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 120(अ) तारीख 22 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 588 (अ) तारीख 24 सितंबर, 2024 और सा.का.नि. 746 (अ) तारीख 3 दिसंबर, 2024 एवं सा.का.नि. 378 (अ) तारीख 10 जून, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2025.

G.S.R. 436(E).— In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'A' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023, in the Schedule, against serial number 5, relating to the post of Principal Private Secretary, in column (12), for the entries relating to the Departmental Promotion Committee, the following entries shall be substituted, namely:-

“Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson;
2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member;
3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs – Member.”.

[F. No. J-1/7/2024-CPU]

S.K. VERMA, Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 120 (E), dated the 22nd February, 2023 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 588 (E), dated the 24th September, 2024, G.S.R. 746 (E), dated the 3rd December, 2024 and G.S.R. 378 (E), dated the 10th June, 2025.